न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 242/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. लालाराम पुत्र मन्जीराम 2. फुसाराम पत्रु लालाराम 3. भंवराराम पुत्र लालाराम 4. जीयाराम पुत्र लालाराम जातियान मेगवाल निवासी निरीया नाडा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 2. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री नारायण कुमावत, वकील विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक–09.04.2026

प्रार्थीगण ने विप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व मौजा पायलाकला अवस्थित उसके खातेदारी खेत खसरा संख्या 644 रकबा 0.7524 हैक्टयर मे से अपने खातेदारी खेतों– खसरा संख्या 813/646,814/646, 815/646 व 816/646 से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कदीमी से प्रचलित रास्ते की मांग की थी, जिसमें अदालत ने वाद विचारण रास्ता निकालने की स्वीकृति देते हुए रास्ते की भूमि के बदले डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि राजकोष में जमा करवाने के प्रार्थीगण को निर्देश दिये थे। उक्त आदेश से व्यथित होकर विप्रार्थी सं. 1 द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय ने उक्त आदेश को अपास्त करते हुए बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर पुनः आदेश पारित करने के निर्देशों के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया।

पुनः प्रकरण उसी नम्बर पर दर्ज कर दोनों पक्षों को विधिसम्मत रूप से सुनवाई का अवसर दिया गया। इस बीच प्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अब रास्ते की आवश्यकता केवल उसे ही रही है और शेष प्रार्थी सं. 2 से 4 की रास्ते सम्बन्धी आवश्यकता का समाधान हो गया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी सं. 1 के विद्वान वकील की बहस है कि ग्राम पायला कला के खसरा संख्या 816/546 से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 644 में से गुजरना प्रार्थी सं. 1 के लिए इकलौता विकल्प है तथा उक्त रास्ते की उसे आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शे में दरसायी गई खसरा संख्या 644 की उत्तरी सीमा की 4 गट्ठा चौड़ी भूमि को गै.मु. रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रार्थी सं. 1 रास्ते में जाने वाली खसरा संख्या 644 की भूमि के बदले में न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी सं. 1 को अदा करने हेतु सहमत है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है कि मूल खसरा संख्या 646 से विभक्त होकर बने खसरों में से सड़क मार्ग तक पंहुचने हेतु प्रार्थी सं. 1 के पास रास्ता उपलब्ध है और विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि को खराब करने हेतु उक्त भूमि मे से रास्ते की मांग की गई है। अतः प्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र दुर्भावना प्रेरित होने से खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। राज्य सरकार की धारा 251 ए रा.का. अधि. के प्रावद्यानों को लागू करने के पीछे यह मन्तव्य

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

था, कि काश्तकारों के कृषिजोत तक आवागमन के लिए सड़क मार्ग तक अपेक्षाकृत कम दूरी का एवं प्रचलित रास्ता उपलब्ध करवाया जाए। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 644 की उत्तरी सीमा से लगता 4 गट्ठा चौड़ा रास्ता सर्वाधिक सुगम, कम दूरी का एवं प्रचलित रास्ता है जिसकी प्रार्थी सं. 1 को आत्यंतिक आवश्यकता है। विप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तावित रास्ता इससे ल्यादा दूरी का है और इसके लिए पक्षकारों का सृजन करते हुए सुनवाई की प्रकिया नये सिरे से प्रारंभ करनी पड़ेगी, जो कि राज्य सरकार की भावना के विपरीत है। चूंकि प्रार्थी सं. 2 से 4 के रास्ते सम्बन्धी समस्या हल हो चुकी है और केवल प्रार्थी सं. 1 को ही रास्ते की आवश्यकता है। अतः खसरा संख्या 644 की उत्तरी सीमा से लगता हुआ रास्ता हर दृष्टि से उचित है। प्रार्थी सं. 1 रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी सं. 1 को अदा किये जाने हेतु सहमत है। ऐसी सूरत में उक्त रास्ता स्वीकृत किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

लिहाजा प्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पायला कला तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 816/646 रकबा 0.2427 हैक्टयर से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु खसरा संख्या 644 रकबा 0.7524 हैक्टयर की उत्तरी सीमा से लगता 4 गट्ठा चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी बाद पैमाईश रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा एवं उक्त रकबे की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि निर्धारित करे। प्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाने पर तहसीलदार सिणधरी को राजस्व रिकार्ड में रास्ते की भूमि को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में तरमीम सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी